कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड–सपोटरा

पता :– Near ITI Collage, PWD office Sapotra –322218 (राज0) ई–मेल **xensapotra2007@rediffmail.com**

क्रमांक 634 दिनांक 05.08.2024

श्रीमान उप वन संरक्षक
करौली

विषय– **Diversion of 0.5265 ha. Of Forest Land For Construction of Road From Kota to Pator, District Karauli (Rajasthan) in Favour of Publice Work Department Karauli, Rajasthan (Proposal No FP/RJ/Road/35272/2018**

प्रसंग– आपका पत्र क्रमांक एफ( )वसु/उवस/2022–23/3003 दिनांक 29.05.2023

महोदय,

उपरोक्त विषय एव प्रसागिक पत्र के सम्वन्ध मे ग्राम कंवरपुर, ग्राम कोटा से टुटकर वना है एव ग्राम पाटोर ग्राम बीजलपुर से टूटकर वना है, जिस सम्वन्ध मे ग्राम कंवरपुर जो कोटा से टुटकर वना है जिसका गजट नोटिफिकेशन संलग्न है, तथा ग्राम पाटोर जो बीजलपुर से टुटकर वना है के सम्वन्ध मे कार्यालय के पत्र क्रमांक 226 दिनांक 05.06.2024 के द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर (भू–अभिलेख) करौली को नोटिफिकेशन की प्रति हेतु लिखा गया था। जिस क्रम मे श्रीमान जिला कलक्टर (भू–अभिलेख) करौली के पत्र क्रमांक एल.आर/2024/2823 दिनांक 04.07.2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम पाटोर का गठन करौली जिले के गठन से पूर्व हो गया था। जिसकी प्रति संलग्न है।

श्रीमान को रिपोर्ट सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्न– नोटिफिकेशन।

(शरत लाल मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि.खण्ड सपोटरा

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (भू–अभि0) करौली

क्रमांकः– एल.आर. / 2024 / 2823 दिनांकः 4/7/24

अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड–सपोटरा

विषयः– Diversion of 0.5265 ha. of Forest land for construction of Road from kota to pator district karauli (Rajasthan) in favour of public work department karauli rajasthan (proposal no FP/RJ/Road/35272/2018) के ऑनलाईन प्रस्ताव में लगाये गये आक्षेपो के क्रम में।

प्रसंगः– आपका पत्र क्रमांक 226 दिनांक 05.06.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा ग्राम पाटोर के नोटिफिकेशन की प्रति चाही गयी है जबकि ग्राम पाटोर का गठन करौली जिले के गठन से पूर्व हो गया था। इसलिए ग्राम पाटोर के नोटिफिकेशन संबंधी सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

(पिंकी गुर्जर)
प्रभारी अधिकारी (भू.अ.)
कलक्ट्रेट करौली

(25)

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक.प.9(72) राज–1/2007 जयपुर,दिनांक 3-10-07

–:अधिसूचना:–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम 15) की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसरण में राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि जिला करौली की तहसीलो मंडरायल, करौली, सपोटरा एवं टोडाभीम, के मूल ग्रामों से लगती हुई नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या 4 में अंकित मजरो/ढाणियों को एतद्पश्चात् गॉव के रूप में माना तथा अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल वर्तमान गांव की कुल देह में से कम होकर कालम संख्या–5 के अनुसार होगा:–

क्र. सं. 1.	तहसील 2.	मूल राजस्व ग्राम का नाम/जनसंख्या 3.	प्रस्तावित नवीन राजस्व ग्राम का नाम/जनसंख्या 4.	क्षेत्रफल(है0 में) 5.
1.	मंडरायल	भांकरी/4599	1. मार का पुरा/350	385
			2. कांकेरिया पुरा/300	193
		ओंड/2172	3. देवीपुरा/395	660.91
			4. इमरतापुरा/550	778.43
		रोधई/4720	5. कैमकच्छ /293	283
			6. गुवारीडांडा/395	1071
		जरगडपुरा/733	7. टादू की डगरिया/300	205
		गुरदह/3374	8. ढालेन का पुरा/425	660
			9. नामते का पुरा/810	851
		धोरेटा/2231	10. ईडर का पुरा/360	394
2.	करौली	कोटा (गा0)/4651	11. कंवरपुर/700	484.61
		रामपुरा/1837	12. केशरीसिंह का पुरा/812	296.32
3.	सपोटरा	बहादुरपुर/3429	13. चूरिया की /900	624.50
			14. करई/300	704.13
4.	टोडाभीम	मोरडा/6356	15. रामपुरा/1067	115.26
			16. गढ़ी/ 800	310.09
			17. डूँगापुरा/687	282.85

आज्ञा से,

(भगवान सहाय मीणा)
शासन उप सचिव

क्रमशः–2

2214
2-10-07

Scanned with OKEN Scanner